न्यायालयः— प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

कमांक— 549 **शिवपुरी, दिनांक—15.06.2026**

।। आंशिक संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ।।

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म.प्र. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन—2—3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 351 दिनांक 24.04.2026 में निम्न आंशिक संशोधन करती हूं ::—

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
1.	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म0प्र0)	**संपूर्ण न्यायिक जिला शिवपुरी आरक्षी केन्द्र** **1. कोतवाली** **2. फिजीकल** **3. आबकारी वृत्त शिवपुरी** **4. यातायात**	1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फिजीकल, आबकारी वृत्त शिवपुरी एवं यातायात **(विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)** के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक विविध कार्यवाहियां। 2. शिवपुरी जिले के कारखाना एवं श्रम अधिनियम से संबंधित, विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय के द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण। 3. जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी, करैरा, कोलारस, पोहरी, पिछोर एवं खनियाधाना के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न खारजी (ई.आर.)। 4. नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत समस्त दांडिक प्रकरण। 5. अतिरिक्ति परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण तथा धारा 194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जिसमें क्षमता से, 8 टन भार से अधिक से संबंधित प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फिजीकल, आबकारी वृत्त एवं यातायात अंतर्गत उद्भूत

			मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 7. सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एवं कॉपीराइट अधिनियम के सम्पूर्ण राजस्व जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण। 8. ईनामी चिट और परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के सम्पूर्ण जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण। 9. नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, खनिज विभाग तथा ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। 10. समस्त जिला शिवपुरी के किसी भी थाना क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मोटरयान अधिनियम अथवा अन्य विविध अधिनियम के अंतर्गत चलित न्यायालय का आयोजन। 11. सम्पूर्ण शिवपुरी जिला से संबंधित ऐसे प्रकरण, जो केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। 12. ऐसे समस्त प्रकरण जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। 13. तहसील शिवपुरी के Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment Protection Act, the Indian Forest Act and the Wild life Protection Act. 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा अंतरित समस्त प्रकरण।
4.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. महिला थाना** **2. सुभाषपुरा** **3. सतनवाड़ा**	1. आरक्षी केन्द्र महिला थाना शिवपुरी, सतनवाड़ा एवं सुभाषपुरा के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित

			अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र महिला थाना, सतनवाड़ा एवं सुभाषपुरा के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्रों सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुरवाया, सुभाषपुरा, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी, महिला थाना के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304–बी, 354, 354–ए, 354–बी, 354–सी, 354–डी, 366–ए, 366–बी, 372, 373, 375, 376–ए लगायत 376–ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498–ए एवं उनसे उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले। 4. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
5.	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र 1. देहात 2. कोतवाली एवं फिजीकल के धारा 138 के प्रकरण**	1. आरक्षी केन्द्र देहात के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र देहात के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत

			मामले। 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं फिजीकल की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।

//अनुसूची कमांक 01//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183/दंड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अधीन साक्षीगण एवं अभियुक्तों के कथन एवं संस्वीकृति को लेखबद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

क	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम	चतुर्थ प्रभारी न्यायालय का नाम
01	02	03	04	05	06
3.	1. देहात 2. फिजीकल	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी
4.	1. सतनवाड़ा 2. बम्हारी 3. सिरसौद 4. गोपालपुर, 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	सुश्री प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 23/06/26 से अन्य आदेश होने तक

प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

15/6/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

पृष्ठांकन क.– 577 **शिवपुरी, दिनांक–** 22/6/26

प्रतिलिपि :–

01– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
02– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, शिवपुरी/कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03– पुलिस अधीक्षक जिला–शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05– जिला विधिक सहायता अधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06– सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–शिवपुरी, (म.प्र.)